न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 762/2019

1. ताराचंद पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. इन्द्रा पत्नि ताराचंद जाति जाट निवासी 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. शीशपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
92 ए, 188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण
1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता — वादी
2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. राजपैरोकार स्टेट — प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय दिनांक 02/12/19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक न0 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 10/08 की प0न0 111/116 मु0न0 14 किला न0 21 की 0.253 हैक्टर प0न0 111/117 मु0न0 15 किला न0 1 ता 15, 17 ता 24 की 5.819 हैक्टर प0न0 110/117 मु0न0 16 किला न0 5, 6, 9 ता 25 की 4.807 हैक्टर प0न0 109/117 मु0न0 17 किला न0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर प0न0 108/117 मु0न0 18 किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 25 की 2.530 हैक्टर प0न0 109/118 मु0न0 22 किला न0 1 ता 9, 12 ता 15 की 3.289 हैक्टर प0न0 110/118 मु0न0 23 किला न0 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर प0न0 111/118 मु0न0 24 किला न0 2 की 0.253 हैक्टर कुल 24.541 हैक्टर रकबा मे 2.726 हैक्टर रकबा है। वादी संख्या 1 ताराचंद प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र–वधु है। प्रतिवादी संख्या 1 शीशपाल के नाम से अन्य चको में भी कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि हिन्दू मुस्तरका खानदान की सहदायिकी सम्पति है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरेलू तौर पर विभाजन हो चुका है। विभाजन के तहत वादी संख्या 1 व 2 के हक व हिस्से में चक न0 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 10/08 की 2.024 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन के तहत अपनी–अपनी कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है। वादीगण की कब्जा काश्त में चक न0 1 के आर डब्लयू की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 10/08 की 24.541 हैक्टर रकबा में 2.024 हैक्टर रकबा है। वादीगण को घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त कृषि भूमि पर वादीगण की शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में यह तय हुआ था कि जब भी वादीगण चाहेगे प्रतिवादी संख्या 1 उनके नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवेगा। वादीगण ने घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त कृषि भूमि को अपने श्रम साधनो से उपजाऊ बनाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आज से एक सप्ताह पूर्व कहा कि हमारे हक व हिस्से की कृषि भूमि जिस पर हम वादीगण की कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो। लेकिन प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखास्मत दावा है।वादीगण के हक व हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को बैय व रहन एवं हस्तान्तरण कर सकता है। जिससे हम वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। जिसकी क्षति–पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से संभव नही है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें व वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बैय व रहन एव हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे। वादपत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र बहक वादीगण एवं खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। कि घोषणा की जावे कि वादी संख्या 1 व 2 चक न0 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 10/08 की 24.541 हैक्टर रकबा में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण नाम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। व वादीगण की कब्जा काश्त कि चक न0 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 10/08 की 24.541 हैक्टर रकबा में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलन्दजी करने से बाज व ममनू रहे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहित चुघ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा पेश किया। वादीगण का वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के कथनो में अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सहूलियत को देखते हुए अपनी कृषि भूमि का घरेलू तौर पर विभाजन कर लिया था। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घरू बंटवारा के आधार पर वादग्रस्त भूमि कें संबंध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा प्रस्तुत किया है। वादी के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादी की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक इकबाल दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है वादी संख्या 1 व 2 चक न0 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 10/08 की 24.541 हैक्टर रकबा में से प्रतिवादी सख्या 01 के नाम दर्ज 2.726 हैक्टर रकबे मे से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

2/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 762/2019

1. ताराचंद पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. इन्द्रा पत्नि ताराचंद जाति जाट निवासी 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. शीशपाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मोहित चुघ वकील प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 व 2 चक न0 1 के आर डब्लयू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 10/08 की 24.541 हैक्टर रकबा में से प्रतिवादी सख्या 01 के नाम दर्ज कुल 2.726 हैक्टर रकबा मे से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीग,ण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 2/12/19 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.03 17:53:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: